



कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) एवं जिला कलक्टर, बांसवाडा (राज0)

क्रमांक:-प( )जिप / बांस / ग्रा.वि.प्र. / म.गां.नरेगा / सा.अंके. / 2022-23 / 1731

दिनांक 14/10/2022

विज्ञप्ति

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी में अंकेक्षण कार्यों के लिए ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए ग्रामीण विकास विभाग (MoRD), भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा-निर्देश/ अनुमोदन अनुसार संविदा मानदेय (मासिक आधारित) पर निर्धारित शर्तों पर एक वर्ष के लिए चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में जिला परिषद् स्तर पर ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online applications) आमंत्रित किये जाते हैं:-

1. सेवाओं के लिए मुख्य शर्तों का सारांश :-

क्र.सं.	सेवा का नाम	संख्या	मानदेय	निर्धारित योग्यताएँ			आवेदन की अंतिम तिथि
				शैक्षणिक	तकनीकी/ प्रशैक्षणिक	आयु (आवेदन की अंतिम तिथि पर आयु)	
1.	ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (BRP)	जिले को आवंटित ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की संख्या (70)	500/- प्रति व्यक्ति प्रति दिवस (सामाजिक अंकेक्षण अवधि के अनुसार)	स्नातक	सूचना प्रौद्योगिक/कम्प्यूटर कार्य में दक्षता एवं RKCL द्वारा करवाये जा रहे कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (RSCIT)	21-64 वर्ष	31.10.2022

2. आवेदन हेतु दिशा निर्देश :-

- ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया संपादित करने हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम 2020 आदेश संख्या 2/2020 एवं संशोधित आदेश 10/2020 में दिये गये प्रावधानानुसार ऑनलाईन (Online) रीति से पूर्ण पारदर्शिता के साथ अखबार एवं वेबसाईट पर विज्ञप्ति जारी करके आवेदन पत्र (Online) लिये जायेंगे।
- केवल ऑनलाईन रीति से ही आवेदन लिये जायेंगे।
- सभी आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online applications form) में समस्त वांछित सूचनाएं आवश्यक रूप से अंकित करनी होगी। ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व संबंधित जिला कार्यालय बांसवाडा की वेबसाईट <https://banswara.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञप्ति एवं अन्य आदेशों, दिशा-निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ ले तथा इनमें दिये गये निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही आवेदन भरे। आवेदक अपना ऑफलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो ले कि सभी प्रविष्टियां सही सही भरी गयी हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गयी प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जायेगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरे क्योंकि एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार पत्र रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
- ऑनलाईन आवेदन:- आवेदन पत्र भरने के पश्चात् आवेदन एवं आवेदन शुल्क की फोटोप्रति ई-मेल [socialauditbanswara@gmail.com](mailto:socialauditbanswara@gmail.com) पर प्रेषित करें।
- आवेदक द्वारा ऑनलाईन भिजवाये जाने वाले आवेदन पत्र, संलग्नकों सहित स्कैन कर पीडीएफ फाईल में भेजें। फाईल पांच एमबी से ज्यादा न हो।

6. **परीक्षा शुल्क** – आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क रु.100/- SSAAT के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सचिवालय शाखा (IFSC code SBIN0031031) के खाता संख्या 38872762396 में Director, SSAAT के नाम से जमा करावे तथा उसकी फोटो प्रति आवेदन पत्र के साथ ई-मेल पर भिजवाये।
7. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को आवेदन शुल्क में नियमानुसार छूट देय होगी।
8. **पात्रता, आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तें** :- सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम 2020 के आदेश क्रमांक एफ61(21)/SSAAT /नियमावली/23019/7497-7514 दिनांक 12.03.2020 (आदेश संख्या 2/2020) एवं संशोधित विनियम समसंख्यक आदेश क्रमांक 1805 दिनांक 27.11.2020 (आदेश संख्या 10/2020) की पालना की जावे। संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु आवश्यक पात्रता आयु, शैक्षणिक /प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यताएं निम्नानुसार है, जिनके लिए सोसायटी के विनियमों में वर्णित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।


**ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अर्हताएँ (Qualifications)होनी आवश्यक है।**

1. **शैक्षणिक योग्यता**– पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
2. **प्रशैक्षणिक / तकनीकी योग्यता** – RSCIT का या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सूचना प्रौद्योगिकी/ कम्प्यूटर संबंधी अन्य उपयुक्त डिप्लोमा/डिग्री/प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
3. **आयु** – आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 वर्ष से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। संसाधन व्यक्ति की 65 वर्ष की आयु तक या राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने की पात्रता रहेगी।
4. आवेदन सिविल सोसायटी/संगठन से होना चाहिए।
5. आवेदक राजकीय कर्मचारी नहीं होना पवरन्तु सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी पात्र होंगे।
6. आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिये।

**चयन प्रक्रिया :-**

1. उपरोक्त सभी आहरताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-  
 (क) उपरोक्त विन्दु संख्या 4(1)(2) एवं (3) के लिए संबंधित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक / तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंकतालिकाएं, प्रमाण पत्र।  
 (ख) विन्दु संख्या 4(5) के लिए स्व हस्ताक्षरित घोषण पत्र।  
 (ग) विन्दु संख्या 4(6) के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।  
 (घ) विन्दु संख्या 4(4) के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत सिविल सेवी संस्थाओं / सिविल सोसायटी संगठनों/ इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक द्वारा उक्त आहरता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किये गये कार्य एवं उसके पेटे आवेदक को किये गये भुगतान का विवरण अंकित हो।
2. आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें 60 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है।
3. आवेदन की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है। अन्यथा आवेदकों की संख्या (पदों की संख्या से तीन गुणा से कम) कम होने पर योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर वरियता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के विरुद्ध 1.5 गुणा आवेदकों की वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जायेगी।
4. लिखित परीक्षा आयोजित न करने की स्थिति में सभी पदों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत एवं उच्चतम प्रशैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत लिया जाकर उसके आधार पर वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जावेगी।
5. आवेदनकर्ता को उसके गृह वाली ग्राम पंचायत (मूल निवास वाली ग्राम पंचायत) का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जावेगा। इस हेतु आवेदक का मूल निवास प्रमाण -पत्र आधार माना जावेगा।

6. ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेंगा, प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण आदि अन्य योजनाओं के लाभार्थी परिवारों के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
7. ग्राम संसाधन व्यक्ति के रूप में तीन सफल सामाजिक अंकेक्षण करने वाले अम्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
8. ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के (संविदा कार्मिकों) चयन में राज्य सरकार में प्रचलित आरक्षण/ रोस्टर प्रणाली के प्रावधानों की पालना करवाई जायेगी।
9. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिला कार्यक्रम समन्वयक कार्यालय स्तर पर ऑनलाईन प्राप्त किया जावेगा।
6. ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत कराने की अंतिम तिथि :- ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 31.10.2022 की मध्य रात्रि 12 बजे तक ई-मेल socialauditbanswara@gmail.com पर प्रेषित किये जा सकेंगे।
7. मेरिट बनाना एवं दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों का सत्यापन :-
  1. दस्तावेजों की सत्यता एवं विधि सम्मतता के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। इनमें किसी भी प्रकार की अवैधानिकता, अपूर्णता या हेराफेरी के लिये आवेदक को चयन से वंचित करने के अलावा उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
  2. दस्तावेजों की भौतिक सत्यापन संबंधित चयन समिति द्वारा किया जावेगा और इसके पश्चात् ही अंतिम वरीयता सूची तैयार की जावेगी। भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम सोसायटी की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा। भौतिक सत्यापन हेतु अनुपस्थिति रहे व्यक्ति का नाम यह मानते हुए कि वे इस कार्य हेतु रूचि नहीं रखते हैं वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
8. ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की जो संविदा सेवाये लिया जाना प्रस्तावित है, वे पूर्णतः अस्थायी तौर पर ली जा रही है। भविष्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थायीकरण या राजकीय सेवा में लिये जाने वावत् कोई भी अधिकार या दावा न्यायालय में वाद स्वीकार नहीं किया जावेगा। मासिक संविदा आधारित सेवाओं पर चयनित व्यक्तियों से केवल एक वर्ष का अनुबंध किया जावेगा। अनुबंध अवधि समाप्ति के उपरान्त पुराने अनुबंध की अवधि में वृद्धि नहीं की जावेगी। वरन् सामाजिक अंकेक्षण कार्य के इच्छुक एवं पात्रताधारी/ संतोषप्रद कार्य सम्पादन के आधार पर छंटनी की जाकर आगामी 1 वर्ष के लिए नवीन अनुबंध ही किया जावेगा। चयनित व्यक्ति को 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र भरना होगा कि वे राजकीय सेवा के लिये अपना दावा राज्य सरकार अथवा किसी भी न्यायालय में पेश नहीं करेंगे क्योंकि ये सेवायें पूर्णतः अस्थायी एवं मासिक संविदा आधारित है।
9. कोई भी आवेदक किसी भी राजनैतिक दल अथवा किसी भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। चयनित पूर्णतः निष्पक्षता पूर्वक गैर राजनैतिक रूप से सामाजिक अंकेक्षण कार्य सम्पादित करेंगे।
10. उपरोक्त समस्त चयन प्रक्रिया में कोई भी कठिनाई आने पर उसके समाधान करने, कोई विवाद होने पर अंतिम निपटारा करने हेतु समस्त अधिकार इन सेवाओं के नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति को प्राप्त होंगे।
11. विवाद की स्थिति में सभी प्रकरणों में न्यायक्षेत्र केवल वांसवाड़ा न्यायालय होगा।

  
 ( प्रकाशचन्द्र शर्मा )  
 जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस)  
 एवं जिला कलक्टर,  
 वांसवाड़ा

